आखिर कैसे हो ? आधी आबादी की सुरक्षा

यत्र नारयस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता।
'यह उक्ति-उपदेश अपने देश की ही है और कभी यह पूरी तरह चरितार्थ
होता था. आज इसका शाब्दिक अर्थ तो यथावत है, क्योंकि इसे हम बदल
नहीं सकते. मगर इस उक्ति का व्यावाहिरक पक्ष हास्यास्पद है और नाटकीय
हो चला है. अपवाद स्थितियों को अपवाद ही रखें, तो हम बेहिचक कह
सकते हैं- पुरुषों की भूमिका बदल गयी है. अब अबला-रक्षक कहना, पुरुष
शब्द का विलोम अर्थ हो चुका है और नारी को झांसे में रखने जैसा हो गया
है. बाकी तरक्की की बात छोड़ दें, स्त्रियों को प्रताड़ित करने, उन्हें सरेआम
बे-आबरू करने में हमने कितनी प्रगति की है, यह उत्कंठा का विषय है.
सामाजिक स्तर पर तो हम अपनी हकीकत जानते ही हैं. कानूनी स्तर पर
हम कहां- किस हाल में हैं, यह जानना जरूरी है. विश्व के सबसे बड़े और
भारी-भड़कम संविधान का बोझ ढोने वाले अपने अर्यावर्न्त में विधि सम्मत
क्या-क्या उपाय निदान हैं, स्त्रियों की जान-माल-अस्मिता के रक्षार्थ? इस
विषय पर हमने उच्च न्यायालय मुंबई के अधिवक्ता राकेश के. सिंह से चर्चा
की. प्रस्तुत हैं एडवोकेट राकेश के साथ हुए प्रश्नोत्तर के मुख्य अंश :

भारतीय विधि-विधान में नारी-समाज की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था

समुचित की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. हां, नारी-समाज की सुरक्षा-
व्यवस्था के लिए भारतीय विधि-विधान में उचित व्यवस्था है. भारतीय
संविधान में स्त्री, बच्चे व आश्रितों के लिए विशेष चर्चा व्यवस्था है. इंडियन
पीनल कोड 1860 में नारियों को सुरक्षा प्रदान करने का स्पष्ट निर्देश है,
लेकिन इस दिशा में अभी और कुछ करने की जरूरत है.

विवाहिता की सुरक्षा के लिए यवस्था

हमारे संविधान में विवाहिताओं की सुरक्षा के लिए कई धारा-उपधारा हैं.
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसका विस्तृत वर्णन है. इसमें विवाह के
अलावा संबंध-विच्छेद (तलाक), गुजारा भत्ता, बच्चों का पालन-पोषण
(गार्जियनशिप), स्त्रियों के संपत्ति के भी अधिकार दर्ज हैं. हिंदू विधवाओं के
लिएं सती प्रथा के उन्मूलन के लिए स्त्रियों के आश्रितों के लिए भी व्यवस्था
है. पारसी, मुस्लिम, ईसाई समुदाय के लिए विशेष कानून व्यवस्था है. इसके
बावजूद सामयिक संदर्भ में उच्चतम न्यायालय समय-समय पर उचित
अध्यादेश जारी करता रहता है.

कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं

कामकाजी महिलाओं को कई मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसका खयाल
ंबंधित कंपनी अथवा कार्यालय को रखना पड़ता है. इसके लिए फैक्टरी
क्ट और माइन्स एक्ट का प्रावधान है, जिससे महिलाओं को कई लाभ
मिलते हैं. इनमें अलग छत, अलग प्रसाधन
व्यवस्था शमिल है.
मेटरनिटी
बेनेफिट एक्ट 1961 के अनुसार कामकाजी गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसूति
अवकाश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है. इतना ही नहीं कंपनी या कार्यरत
कार्यालय से स्वास्थ्य लाभ और नवजात के लिए कुछ राशि प्राप्त करने का
भी अधिकार है. इसमें वैद्यकीय अवकाश का भी प्रावधान है. प्रसूति कारणों
से लिए गए लंबे अवकाश के कारण स्त्री को काम से हटाया नहीं जा सकता
अर्थात् सुरक्षित नौकरी का प्रावधान है.

कुछ घटनाक्रम

यह सही है कि नव वर्षारंभ पर जे.डब्ल्यू. मेरियट के पास जो घटना हुई,
वह चिंतनीय और निंदनीय दोनों है, लेकिन यह कोई नया या अजूबा
घटनाक्रम नहीं था. अपने देश के किसी न किसी कोने में हमेशा ऐसी
वारदातें होती रहती हैं, लेकिन उनकी अनदेखी होती रहती है,
कोई ध्यान नहीं देता. कोई इस झमेले में पड़ना नहीं
चाहता. अगर मीडिया की नजर में यह घटना भी
नहीं आती तो शायद इसे भी
लोग भूल गए होते
अथवा यूं कहें,
किसी को
याद ही
नहीं

भारतीय संविधान की ध
सख्ती से निपटने के नियम
वर्षों की जेल भी हो सकती
जहां तक कामकाजी स्त्रि
यह एक ऐसा मसला है, जि
पर जागरूक होने और चर्चा
ऑफ राजस्थान (1997) के
निर्णय देने के समय कानून ने

ी कुछ दिन पहले मैं अपने
मित्र से मिलने उनके निवास पर गया. अभिवादन
द चंद बातों के दौरान मुझे लगा कि महाशय अंदर से कुछ
 हैं. मैंने सहज भाव से उस पूछा- 'क्या बात है- कुछ परेशान लग
'

प्रश्न का वह कोई जवाब देता, उसके पहले ही रसोईघर से भाभीजी पानी का
लेकर बाहर आईं और बोलीं- 'भैया, ये आपको सच बात नहीं बता पाएंगे. मैं आपको
म 'दम्पति' एक 'अलग किस्म की जोड़ी' हैं. इनसे शादी के पहले मेरी 'सगाई'
 में हुई थी जो तीन माह बाद ही टूट गई. इसी तरह इनकी 'सगाई' भी किसी परिवार में
ाह बाद ही टूट गई. अब हमारी शादी हुए अभी दस माह हुए हैं. पिछले रविवार को
 विवाह समारोह' में शामिल होकर रात 10 बजे घर वापस आए. उसके बाद जब
 पास बैठकर स्नेह-प्रेम की बातें कर रहे थे, तब इन्होंने अचानक मुझसे पूछा- 'यार,
ारी पहले जिससे सगाई हुई थी, तुम उसके साथ बहुत घूमी-फिरी होगी. उसने
ी तो अकेले में तुम्हारा फायदा उठाना चाहा होगा.'
का ये प्रश्न सुनकर मुझे गुस्सा आ गया. मैंने कह दिया कि 'आज जब उस
 से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रह गया है तो आप मेरा बीता हुआ 'कल'
 'आज' क्यों बिगाड़ रहे हो? जब मैंने आपके साथ सात फेरे लिए तब
 हो गई और अब केवल आपकी हूं.
 सुनकर ये तिलमिला गए. और दो-तीन दिन से अपना चेहरा
 तक कि मुझसे बात भी नहीं कर रहे.' इतना कहकर वे
 से पूछा- 'क्या भाभीजी ने कभी तुमसे ऐसा ही या
 था कि- क्यों तुम्हारी सगाई एक सप्ताह के भीतर
 मुझसे कभी भी मेरे बीते हुए 'कल' के बारे
नका बीता हुआ कल खोदकर आज
धियारे में दफन हो चुका है उसे जिंदा
वी-खराब बातें ही हर आदमी को

आखिर कैसे हो आधी आबादी की सुरक्षा

कट एक्ट 1961 के अनुसार कामकाजी गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसूति काश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है. इतना ही नहीं कंपनी या कार्यरत लय से स्वास्थ्य लाभ और नवजात के लिए कुछ राशि प्राप्त करने का अधिकार है. इसमें वैद्यकीय अवकाश का भी प्रावधान है. प्रसूति कारणों लए गए लंबे अवकाश के कारण स्त्री को काम से हटाया नहीं जा सकता त् सुरक्षित नौकरी का प्रावधान है.

कुछ घटनाक्रम

ह सही है कि नव वर्षारंभ पर जे.डब्ल्यू. मेरियट के पास जो घटना हुई, चिंतनीय और निंदनीय दोनों है, लेकिन यह कोई नया या अजूबा घटनाक्रम नहीं था. अपने देश के किसी न किसी कोने में हमेशा ऐसी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन उनकी अनदेखी होती रहती है, कोई ध्यान नहीं देता. कोई इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता. अगर मीडिया की नजर में यह घटना भी नहीं आती तो शायद इसे भी लोग भूल गए होते अथवा यूं कहें, किसी को याद ही नहीं होता. इस तरह की घटनाओं के बढ़ने या नहीं रोकने का कारण इसमें कुछ ऊपरी पहुंच या विशिष्ट प्रभाव वाले लोगों की संलिप्तता भी है. ऐसा नहीं कि इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठती या फिर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन आवाज दब जाती है. शांत हो जाती है. जरूरत है सभ्य समाज के आगे आने की, जिससे नारियों की अस्मिता की रक्षा हो सके, उनका आत्मबल बना रहे. हर काम कानून के भरोसे छोड़ देना भी बुद्धि मानी नहीं होती. वैसे जे.डब्ल्यू. मेरियट के पास हुए घटनाक्रम में चौदह लोग अभियुक्त बनाए गए और उन्हें एम.एम. कोर्ट ने जमानत भी दे दी. लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील कर डाली है.

छेड़खानी के विरुद्ध कानून

भारतीय संविधान की धारा (आईपीसी) के अंतर्गत अभियुक्तों के साथ सख्ती से निपटने के नियम हैं. उन्हें धारा 354, 504 और 509 के तहत दो वर्षों की जेल भी हो सकती है.

जहां तक कामकाजी स्त्रियों के साथ जोर-जबरदस्ती का का मामला है, तो यह एक ऐसा मसला है, जिस पर विधि विधान से ज्यादा हमें बौद्धिक स्तर पर जागरूक होने और चर्चा करने की जरूरत है. वैसे विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1997) केस के निर्णय देने के समय कानून ने कड़ा रुख अपनाया था. आज केस कानून होते हुए भी इस तरह के कांड के लिए मिसाल बन गया है.

अधिवक्ता राकेश के. सिंह से अपनी विधि सम्मत उलझन मिटाने के लिए आप- rakesh@rksassociate.com पर ई-मेल [redacted]!

प्रस्तुति : उमेश सिंह चंदेल

को
ई'
ी परिवार में
ले रविवार को
उसके बाद जब
क मुझसे पूछा- 'यार,
ी-फिरी होगी. उसने

दिया कि 'आज जब उस
मेरा बीता हुआ 'कल'
के साथ सात फेरे लिए तब

दो-तीन दिन से अपना चेहरा
कर रहे.' इतना कहकर वे
ने कभी तुमसे ऐसा ही या
सगाई एक सप्ताह के भीतर
मेरे बीते हुए 'कल' के बारे
हुआ कल खोदकर आज